संख्या–2704/सोलह–प्रा0शि0–3–2013–46(8)/2002

प्रेषक,

राजीव कपूर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

O.S/ग्रो [illegible] 10.1.13

(योगेन्द्र सिंह यादव)
सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उ0 प्र0 लखनऊ

सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ
डाक प्राप्त संख्या 2104
दिनांक 10/1/13

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ0प्र0, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः जनवरी, 09 2013

विषयः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2013–14 में डिप्लोमा सेक्टर के विभिन्न तकनीकी पाठ्यकमों हेतु प्रवेश की अर्हता पुनर्निधारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–प्राशिप/परिषद/ 2012/ 23310, दिनांक–24/12/2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा सन्दर्भित प्रकरण मे सम्यक् विचारोपरांत श्री राज्यपाल महोदय द्वारा शासनादेश संख्या–1137/ सोलह–प्रा0शि–3–2011–46 (8)/2002, दिनांक–04 मई 2011 को निरस्त करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थाओं में संचालित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में सत्र 2013–14 से प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को संलग्नक के अनुसार पुनः निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कपूर)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 2704/16–प्रा0शि0–3–2013–46(8)/2002 दिनांक 09 जनवरी,2013 का संलग्नक

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में संचालित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2013–14 से न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं :–

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	प्रस्तावित शैक्षिक अर्हता जिसके अनुसार शासनादेश निर्गत किया जाना है।
1	2	3	4
A	डिप्लोमा इन इंजी0/टेक्नो0 पाठ्यकम	तीन वर्षीय	10 वीं कक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण।
B	डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजी0	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण
C	1. डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेण्ट टेक्नो0	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण
	2. डिप्लोमा इन होम साइंस	दो वर्षीय	तदैव
	3. डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन	तीन वर्षीय	तदैव
	4. डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन (प्रिंटिंग)	तीन वर्षीय	तदैव
D	1. डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मैनेजमेण्ट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	इण्टरमीडिएट या समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है।)
	2. डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इनफारमेशन साइंस	दो वर्षीय	इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
E	डिप्लोमा इन फार्मेसी	दो वर्षीय	इण्टरमीडिएट विज्ञान (10+2) या समकक्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण।
F	डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलाजी (टिशू कल्चर)	एक वर्षीय	बी0एस0सी0, बायोलोजी, केमेस्ट्री/बायोकेमेस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण।
G	समस्त पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यकम	एक वर्षीय/ दो वर्षीय	स्नातक उपाधि
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी	तीन वर्षीय	12वीं कक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण।
I	1. डिप्लोमा इन एयरकाफ्ट मेन्टी0 इंजी0	तीन वर्षीय	इण्टरमीडिएट (10+2) भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित में 50 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक अनिवार्य।
	2. डिप्लोमा इन एयरकाफ्ट मेन्टी0 इंजी0 (एवियोनिक्स)	तीन वर्षीय	तदैव
J	पोस्ट डिप्लोमा इन इनफारमेशन टेक्नोलाजी	एक वर्षीय	प्राविधिक, शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सम्बद्ध संस्था से इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा।
K	डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यकम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश (लेटरल इन्ट्री)	तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यकम	इण्टरमीडिएट विज्ञान, अथवा इण्टरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक/प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण छात्र

(आर0 वी0 सिंह)
अनु सचिव।

C:\Documents and Settings\Ajai\Desktop\Jan 04 2013 (E)\AICTE 4-1-13.doc

संख्या-10/2018/2138/सोलह-3-2017-46(08)/2002

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 16 जनवरी 2018

विषयः-डिप्लोमा सेक्टर के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की अर्हता पुनर्निधारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2704/सोलह-प्रा0शि-3-2013-46(8)/2002, दिनांक 09.01.2013 द्वारा विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता निधारित की गयी है। सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-प्रा0शि0प/परिषद/2017/10189, दिनांक 19.12.2017 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 09.01.2013 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री राज्यपाल डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी हेतु निम्न शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	संख्या-2704/सोलह-प्रा0शि0-3-2013-46(8)/2002 दिनांक 09.01.2013 के अनुसार निर्धारित अर्हता	शैक्षिक अर्हता
(एच)	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी	3 वर्ष	12 वीं कक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथा उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण	12वीं कक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ई)	डिप्लोमा इन फार्मेसी	2 वर्ष	इण्टरमीडिएट विज्ञान (10+2) या समकक्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण	इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित/जीवविज्ञान (वनस्पति और जन्तु विज्ञान) विषयों में उत्तीर्ण।

2- शासनादेश दिनांक 09.01.2013 को निम्न उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सहायक निदेशक, (प्रशिक्षण) डीजीईटी, भारत सरकार नई दिल्ली।
3- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर।
4- निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 कानपुर।
6- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (पूर्वी/मध्य/पश्चिमी/बुन्देलखण्ड) द्वारा निदेशक।
9- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक (द्वारा निदेशक) ।
10-गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुरजन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।